

ECS Mandate Form (for credit of interest to bank account not held with bank having the Bond Ledger Account)

1. Name of the First Applicant

1 st Applicant: Mr/Mrs.Ms														
First Name					Middle Name					Last Name				

2. Particulars of the Bank account: Bank Name..... Branch.....

Nine digit Code number of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the bank										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(please attach a photocopy of the Cheque or a cancelled cheque issued to you by the bank for verification of the Code number)

3. Account Type [] S.B. account [] Current Account [] Cash Credit Account

4. Account Number											
5. Ledger Number											
6. Ledger Folio No.											

I hereby authorize.....(name of the bank) to credit my interest / redemption amounts through ECS. I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I hereby agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the scheme.

Place..... Date..... (Signature of the Applicant).....

Bank Certification (Not required if photocopy of the cheque is submitted)

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records
(Date, Bank Stamp & Signature of Authorised Official)

Note : ECS facility is presently available only for members having a bank account in Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Baroda, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Pune & Trivandrum cheque clearing zones. Additional centers are likely to be added. In which case, members holding accounts at such centres may also opt for ECS facility at a later stage.

H.U.F. declaration form (mandatory if applicant is Karta of HUF): I,.....residing at the address given against First Applicant, do solemnly affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full powers to sell, endorse, transfer or otherwise deal in the 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF).....

(Signature of the Karta with seal of HUF)

Place:..... Date.....

Nomination facility (optional) **(Please note that nomination facility can be availed only if the holding is single. For Joint holders and minors, nomination facility is not available)**

I.....residing at.....the holder of Bond Ledger Account No.....nominate the following person/s who shall on my death have the right to the bond/receive payment of the amount for the time being due on the bond(s) specified below

Particulars of Nominee/s							
Sr. No	Date of issue	Amount (Rs)	Date of repayment	Full name with expanded initials and address of nominee	Date of Birth	Relationship to holder	Particulars of bank account

If nominee is minor, please fill in the line below:

As.....the sole nominee above is a minor on this date. I appoint Mr./Mrs./Ms.....to receive the amount for the time being due on the above bond(s) in the event of my death during the minority of the said nominee.....
(name of the nominee who is a minor)

Change of nomination: This nomination is in substitution of the nomination dated...../...../.....made by me and registered on your books at.....which shall stand cancelled on registration of this nomination.

Place.....Date...../...../.....(Signature/Thumb impression)

Signature/Thumb impression @ of the 1st Applicant @ Thumb impression to be attested by two witnesses.

Witnesses

Name of 1st Witness..... Name of 2nd Witness.....
Address..... Address.....
Signature..... Signature.....

Application No.

--

INFORMATION FOR INVESTORS IN 8% SAVINGS (TAXABLE) BONDS, 2003

Government of India had introduced 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 vide their notification No. F4(10)-W&M/2003 dated 21.03.2003 for the benefit of the Resident Indians. The main features of the Scheme are as under:-

Item	8% Savings (Taxable) Bonds 2003	Remarks
1) Category of Investor	Individual HUF University Charitable Institution	Non Resident Indians are not eligible to invest in these bonds
2) Limit of investment	Minimum Rs. 1000/- and in multiples of Rs. 1000/-	No Maximum limit
3) Date of issue of bonds	Date of receipt of subscription in cash or date of realization of cheque / draft	
4) Forms of Bonds	Bond Ledger Account	
5) Option	Non-cumulative / Cumulative	Change of option is generally not permitted.
6) Interest	In case of non-cumulative option, interest is payable on half yearly basis. In case of Cumulative option, interest is payable at the time of maturity.	Half yearly interest is payable on 1st February /1st August
7) Post Maturity interest	Post Maturity interest is not available	
8) Bank account		To facilitate payment of interest at half-yearly intervals, under non-cumulative option, it is desirable for the investor to open a bank account in the same branch
9) Tax benefits	Income from the bonds is taxable. Wealth tax is exempted	No tax will be deducted at source while interest is paid.
10) Nomination Facility	Available to Sole Holders	Non-Resident Indians can also be nominated. However, remittance of the interest/maturity proceeds will be subject to the Exchange Control regulations prevailing at the time of remittance.
11) Maturity period	After 6 years	
12) Premature redemption	NOT AVAILABLE	
13) Transferability	NOT TRANSFERABLE	
14) Loans from banks against the security of these Savings bonds	The bonds cannot be pledged as security for availing of loans from banks	
15) Application forms	Available at 1675 branches of SBI, Associate banks, 17 Nationalised banks, 4 Private Sector banks and Stock Holding Corporation of India Ltd	

DUTIES OF INVESTOR APPLICANTS

- A) Please Fill up the application in all respects
- B) Incomplete applications are liable to result in delay of issue of the bonds and at the cost of the applicant.
- C) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- D) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy
- E) Please note that nomination facility is available only to Sole Holder.
- F) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed
- G) Nomination facility is not available in case the investment is on behalf of minor
- H) Please exercise the option (CUMULATIVE / NON-CUMULATIVE) for issue of bonds carefully. Change of option is generally not permitted.
- I) Please notify the change of address immediately
- J) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE AFTER DATE OF MATURITY, HENCE PLEASE OBTAIN REDEMPTION PROCEEDS ON THE DUE DATE
- K) Indicate your date of birth / age, in case you are a Senior Citizen (above 65 years of age)

RIGHTS OF THE INVESTOR

- a) The Bond will be issued within 7 days, from the date of realization of the cheque.
- b) The Certificate of Holding will be issued within 5 days from the date of tender of application.
- c) The interest on the bond accrues from the date of subscription in cash or date of realization of cheque. The half-yearly interest warrants will be dispatched one month in advance from the due date.
- d) The interest on the date of 1st February / 1st August will be credited to the bank account or remitted by an interest warrant at the last registered address.
- e) An advice of payment of interest will be issued to the investor one month in advance from the due date.
- f) A sole holder may nominate one or more nominees to the rights of the bonds. Non-resident Indians can also be nominated.
- g) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- h) The nomination can be varied by registering a fresh nomination
- i) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- j) The redemption is due on the expiry of Six years from the date of investment.
- k) Early redemption facility is not available.
- l) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of acquittance
- m) Facility for payment of half yearly interest/ redemption proceeds can be availed through ECS or direct credit to the bank account. Applicants may indicate his choice, to avoid delay in receipt of interest/ redemption proceeds.
- n) In case the bank does not comply with the above you may lodge a complaint in writing in the form provided at the counter and address the same to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

THE REGIONAL DIRECTOR, RESERVE BANK OF INDIA, GRIEVANCES REDRESSAL CELL,

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

THE CHIEF GENERAL MANAGER
RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
BYCULLA (OPP.BOMBAY CENTRAL RLY STATION)
MUMBAI 400 008
MAHARASHTRA

TEAR AWAY HERE

Application No.

Acknowledgment of Applicant Form

Bank branch..... Date...../...../.....

Received from Mr/Mrs/Ms.....

Cash / Draft / Pay Order /Cheque No..... Dated...../...../..... Cheque drawn on.....

Bank.....branch for Rs..... (rupees.....only)

for the purchase of 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 for period of 6 years, interest [] payable on cumulative [] Non-cumulative basis of the nominal value of

Rs..... (rupees.....only)

Date Bank Stamp & Signature of the authorized official of the Bank

ईसीएस अधिदेश फॉर्म (बैंक खाते में जहाँ बॉड लेजर खाता नहीं है, ब्याज जमा करने के लिए)

9. प्रथम आवेदक का नाम:

प्रथम आवेदक: श्री/श्रीमती/सुश्री																													
प्रथम नाम										मध्य नाम										अंतिम नाम									

2. बैंक खाते के ब्योरे: बैंक का नाम.....शाखा

बैंक द्वारा जारी माइक्रो चेक पर उल्लिखित बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(कृपया कोड संख्या के सत्यापन के लिए आप बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त चेक संलग्न करें)

3. खाते का प्रकार [] बचत खाता [] चालू खाता [] नकद जमा/क्रेडिट खाता

4. खाता संख्या																				
5. लेजर संख्या																				
6. लेजर फोलियो संख्या																				

मैं एतद्वारा.....(बैंक का नाम) को ईसीएस द्वारा अपने ब्याज/रिडेम्पशन की राशि जमा करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिए गए ब्योरे सही और परिपूर्ण हैं। यदि लेनदेन में अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण विलंब होता है, तो मैं यूजर संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। योजना के अंतर्गत एक भागीदार से जिन उत्तरदायित्वों के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है मैं एतद्वारा उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान..... तारीख..... (धारक के हस्ताक्षर)

बैंक अभिप्रमाणन (यदि चेक की फोटोकॉपी प्रस्तुत कर चुके हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए ब्योरे हमारे अभिलेखानुसार सत्य है

..... (तारीख, बैंक की मुहर और अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

टिप्पणी: प्रारंभ में ईसीएस सुविधा केवल उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होगी जिनके बैंक खाते अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बडोदा, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नै, कोईंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे और त्रिवेंद्रियम चेक क्लियरिंग जोन में है। बाद में अतिरिक्त केंद्र भी आ जायेंगे तब इन केंद्रों के खाताधारक सदस्य भी बाद में ईसीएस सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

हिंदू अवि. परि. फॉर्म (यदि हिंदू अवि. परि. का कर्ता आवेदक है तो यह अधिदेशीय है): मैं,.....प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि मैं हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता हूँ और इस नाते मुझे हिंदू अविभाजित परिवार के नाम रहे 8% बचत बॉड, 2003 (कर योग्य) को बेचने, बेचान करने, अंतरण करने अथवा अन्य प्रकार से उसका सौदा करने की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है।

हिंदू अवि. परि. के लिए तथा की ओर से नमूना हस्ताक्षर (हिंदू अवि. परि. का नाम)..... (कर्ता का हस्ताक्षर तथा हिंदू अवि. परि. की. मुहर)

स्थान:..... तारीख.....

नामांकन सुविधा (एचिआर) (नोट करें कि नामांकन सुविधा केवल एकल धारिता होने की दशा में ही प्राप्त की जा सकती है। संयुक्त धारकों और नाबालिगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।)

मैं,.....निवासी.....

.....बॉड लेजर खाता संख्या.....

का धारक निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु के उपरांत नीचे लिखे बॉड (बॉडों) के हकदार होंगे/नीचे लिखे बॉड (बॉडों) पर देय राशि का भुगतान तात्कालिक तौर पर प्राप्त करेंगे।

नामांकित (यों) के ब्योरे							
क्रम संख्या	जारी करने की तारीख	राशि (₹)	चुकोती की तारीख	नामांकित का पूरा नाम और पता	जन्म तिथि	धारक के साथ संबंध	बैंक खाते के ब्योरे

नामिती के नाबालिग होने की दशा में कृपया नीचे की पंक्ति भरें:

चूंकि.....उपरिलिखित नामिती आज की तारीख में नाबालिग है, मैं

श्री/श्रीमती/सुश्री.....को, उक्त नामिती के

.....(नाबालिग नामिती का नाम) नाबालिग रहने के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में, उक्त बॉड(बॉडों)

की देय राशियाँ तात्कालिक रूप से प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

नामांकन में परिवर्तन: मेरे द्वारा.....स्थित आपकी बही

में दिनांक...../...../..... को पंजीकृत किया गया नामांकन इस नामांकन द्वारा प्रतिस्थापित और पंजीकृत किया जाता है और इसके पहले किया गया नामांकन निरस्त माना जाएगा।

स्थान..... तारीख...../...../.....

@प्रथम आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान @अंगूठे के निशान का साक्ष्योक्तन दो साक्ष्यों द्वारा किया जाए।

(हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान)

साक्ष्य

प्रथम साक्ष्य का नाम.....

द्वितीय साक्ष्य का नाम.....

पता.....

पता.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

आवेदन संख्या

8% बचत बाँड 2003 (कर योग्य) के निवेशकों के लिए सूचना

भारत सरकार ने निवासी भारतीयों के लाभार्थ २१ मार्च २००३ की अपनी अधिसूचना संख्या एफ ४ (१०) डबल्यू एण्ड एम/२००३ के द्वारा 8% बचत बाँड 2003 (कर योग्य) प्रारंभ किया है। योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

मद	8% बचत बाँड 2003 (कर योग्य)	अभियुक्तियाँ
१) निवेशक की श्रेणी	व्यक्ति और हिंदू अवि. परि., विश्वविद्यालय, धर्मदाय संस्थाएं	अनिवासी भारतीय इन बाँडों में निवेश करने के पात्र नहीं हैं।
२) निवेश की सीमा	न्यूनतम रु १०००/- और रु १०००/- के गुणकों में	अधिकतम सीमा नहीं
३) बाँड जारी होने की तारीख	नकद अभिदान प्राप्त करने की तारीख अथवा चेक/ड्राफ्ट वसूले जाने की तारीख	
४) बाँड का स्वरूप	बाँड लेजर खाता	
५) विकल्प	असंचयी/संचयी	विकल्प में परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतया नहीं होगी।
६) ब्याज	असंचयी विकल्प की दशा में ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। संचयी की दशा में ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।	१ फरवरी/१ अगस्त को छमाही ब्याज देय होगा।
७) परिपक्वता पंथ ब्याज	परिपक्वता पंथ ब्याज नहीं मिलेगा।	
८) बैंक खाता		असंचयी विकल्प के अंतर्गत छमाही अंतराल पर ब्याज के भुगतान की सुविधा के लिए निवेशको से अपेक्षित है कि वे उसी शाखा में अपना एक बैंक खाता खोलें।
९) कर लाभ	बाँड की आय पर कर छूटना पड़ेगा। वनकर से भी मुक्त है।	ब्याज भुगतान के समय स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।
१०) नामांकन सुविधा	एकल धारकों को दी जाएगी।	अनिवासी भारतीयों का भी नामांकन किया जा सकता है। तथापि, ब्याज अथवा परिपक्वता राशि के विप्रेषण पर उस समय प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियम लागू होंगे।
११) परिपक्वता अवधि	६ वर्षों के पश्चात	
१२) परिपक्वतापूर्व रिडेम्पशन/भुनाना	नहीं कर सकते।	
१३) अंतरणीयता	अहरांतरणीय	
१४) इन बचत बाँडों की जामिन पर बैंको से ऋण	बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बाँडों को जामिन के तौर पर गिरवी नहीं रखा जा सकता।	
१५) आवेदन फॉर्म	भा. स्टेट बैं, एसोसिएट बैंकों की १६७५ शाखाओं, १७ राष्ट्रीय बैंक, ४ निजी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय स्टॉक धारिता निगम में भी उपलब्ध है।	

निवेशक आवेदकों के दायित्व

- क) कृपया आवेदन पूर्णरूपेण भरें।
 ख) अपूर्ण आवेदनों के कारण बाँड जारी करने में बिलंब होता है जिससे आवेदक को ही नुकसान होता है।
 ग) यदि पाँचर ऑफ एटॉर्नी (पीओए) धारक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सत्यापन के लिए कृपया पीओए की मूल प्रति और उसकी एक अनुप्रमाणित प्रति और उसकी एक अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करें।
 घ) यदि आवेदन किसी नाबालिग की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यालय अथवा नगरपालिका से प्राप्त मूल प्रमाणपत्र तथा उसकी एक अनुप्रमाणित प्रति सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
 ङ) नोट करें कि नामांकन सुविधा केवल एकल धारकों को ही उपलब्ध है।
 च) नामांकितों के नाबालिग होने पर कृपया नाबालिग की जन्मतिथि लिखें और किसी अभिभावक की नियुक्ति करें।
 छ) किसी नाबालिग की ओर से किए जा रहे निवेश के मामले में नामांकन सुविधा नहीं दी जाएगी।
 ज) कृपया बाँड जारी करने के लिए विकल्प (संचयी/असंचयी)सावधानी से भरें। धारिता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद विकल्प में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें छूट की अनुमति भारिबैं की इच्छानुसार प्रत्येक मामले के गुणदोषों को देखकर दी जाएगी।
 झ) कृपया पते में हुए परिवर्तन की सूचना अविलंब दें।
 ञ) कृपया छमाही ब्याज / परिपक्वता राशि की प्राप्ति के लिए ईसीएस विकल्प का उपयोग करें।
 ट) परिपक्वतापंथ ब्याज नहीं मिलेगा इसलिए कृपया रिडेम्पशन की राशि परिपक्वता की तारीख को ही प्राप्त करें।
 ठ) यदि आप वरिष्ठ नागरिक (६५ वर्ष से अधिक) हैं तो आप अपनी जन्म तारीख/आयु लिखें।

निवेशक के अधिकार

- क) यदि अभिदान की राशि नकद प्राप्त होती है तो बाँड ७ दिन जारी कर दिया जाएगा।
 ख) धारिता प्रमाणपत्र चेक की वसूली होने की तारीख से ५ दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
 ग) नकद अभिदान प्राप्ति की तारीख अथवा ड्राफ्ट की वसूली की तारीख से बाँड पर ब्याज दिया जाएगा। छमाही ब्याज वारंट देय तिथि से एक माह पूर्व निवेशक को जारी किया जाएगा।
 घ) पहली फरवरी/पहली अगस्त को ब्याज बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा अथवा अंतिम पंजीकृत पते पर ब्याज वारंट भेज दिया जाएगा।
 ङ) ब्याज भुगतान की सूचना निवेशक को देय तारीख से एक माह अग्रिम जारी की जाएगी।
 च) कोई एकल धारक बाँड पर हक के लिए एक अथवा अधिक नामितियों को रख सकता है। अनिवासी भारतीयोंको भी नामांकित किया जा सकता है।
 छ) नामांकन या पंजीयन जारीकर्ता कार्यालय में किया जाएगा और धारक को एक निर्गम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
 ज) किए गए नामांकन की जगह नया नामांकन देकर उसे बदला जा सकता है।
 झ) विद्यमान नामांकन का निरसन जारीकर्ता/निर्गमकर्ता कार्यालय को अनुरोध करके किया जा सकता है।
 ञ) निवेश की तारीख से छह वर्षों की समाप्ति पर रिडेम्पशन देय होगा।
 ट) पूर्व रिडेम्पशन सुविधा नहीं होगी।
 ठ) छमाही ब्याज/रिडेम्पशन राशि का भुगतान की सुविधा ईसीएस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा खाते में सीधे ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।
 ड) एक्टिवेटेड (विमोचन) प्रस्तुत करने की तारीख से पूरे पाँच कार्यदिवसों के भीतर निवेशक को चुकोती की राशि प्राप्त होनी चाहिए।
 ढ) यदि उपर्युक्त बातों का अनुपालन बैंक न करता हो तो आप काउंटर पर उपलब्ध फॉर्म में एक शिकायत लिखें और उस पर निम्नानुसार नज़दीकी भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय का पता लिखें।

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक शिकायत निवारण कक्ष

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी कर सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक,
 केंद्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग,
 भायखला। (मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने),
 मुंबई - ४०० ००८
 महाराष्ट्र

यहाँ से फाइल अलग करें

आवेदन फॉर्म के लिए पावती

बैंक शाखा.....तारीख...../...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री.....से प्राप्त

नकद / ड्राफ्ट / भुगतान आदेश / चेक संख्या.....तारीख...../...../..... ६ वर्षों की अवधि के लिए 8% बचत बाँड, 2003

(कर योग्य) के क्रय के लिए रु.....(रुपए..... मात्र) का चेक.....बैंक

की शाखा पर आहरित, रु.....(रुपए..... मात्र) के अंकित मूल्य पर संचयी [] असंचयी

[] आधार पर देय ब्याज

आवेदन संख्या

तारीख, बैंक की मुहर और बैंक के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर